रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 86] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 1985/फाल्गुन 1, 1906
No. 86] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEB. 20, 1985/PHALGUNA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1985

का. आ. 147(अ) :—केन्द्रीय सरकार, अल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 43) की धारा 14 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री टी. एन. श्रीवास्तव, आई. ए. एस (मध्य प्रदेश-1966) को सदाय आयुक्त नियुक्त करती है ।

[फाइल सं. 12/2/85-मेटल-I]

फकीर चन्द नाहरवारा, उप सचिव

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1985

S.O. 147(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Aluminium Corporation of India Limited (Acquisition and Transfer of Aluminium Undertaking) Act 1984 (43 of 1984), the Central Government hereby appoints Shri T. N. Srivastava, IAS (MP-1966) as the Commissioner of Payments.

[F. No. 12|2|85. Met.I]

F. C. NAHARWARA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985